प्रेस नोट   दिनांक 13.08.2026

अवैध चाकू के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 13.08.2026 को अलाउद्दीनपुर मोड़ से जाने वाले मार्ग पर ग्राम गालिबपुर से मु0अ0सं0- 280/2026, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ से संबंधित अभियुक्त निखिल सोनकर पुत्र कुबेर सोनकर, निवासी हलीमाबाद, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ को गिरफ्तार कर एक अदद अवैध चाकू बरामद किया गया तथा अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. निखिल सोनकर पुत्र कुबेर सोनकर, निवासी हलीमाबाद, थाना मु0बाद गोहना, जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 280/2026, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1. दिनांक- 13.08.2026
2. स्थान - अलाउद्दीनपुर मोड़ से जाने वाले मार्ग पर ग्राम गालिबपुर।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 13.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 30 टीम गठित कर जनपद के 38 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1250 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 410 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 03 वाहनों की सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

थाना मुहम्मदाबाद गोहना साइबर पुलिस टीम द्वारा 01 पीडित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 11,100-/ (ग्यारह हजार नौ सौ रूपये) पीडित को कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व

क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद गोहना साइबर पुलिस टीम द्वारा यूपीआई के माध्यम से खाते से फ्राड से फ्राड की गयी धनराशि दिनांक- 13.08.2026 को पीड़ित समरजीत यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी चालीसवां थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ की कुल धनराशि 11,100/- रुपये साइबर पुलिस टीम थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी मु0बाद गोहना महोदय व श्रीमान् प्रभारी निरीक्षक श्री कमलकांत वर्मा थाना मुहम्मदाबाद महोदय के निर्देशन में,थाना स्थानीय के साइबर पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के जांच के क्रम में आवेदक समरजीत यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी चालीसवां थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ द्वारा साइबर पोर्टल पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यूपीआई के माध्यम से आवेदक से पैसे का फ्रॉड हो जाने के संबंध में शिकायत की जांच के क्रम में थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम की उप निरीक्षक विकास कुमार क0आ0 संजय गुप्ता म०आ० शालिनी मौर्या म०आ0 प्राची यादव द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदक के फ्रॉड की गई धनराशि 11,100/रु0 को उसके खाते में वापस कराया गया।